सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य

बनाम

मदन चंद्र ब्रह्म एवं अन्य

22 अगस्त, 2007

[के. जी बालकृष्णन, भारत के मुख्य न्यायाधिपति और पी.के. बालासुब्रमण्यन. न्यायाधिपति]

सेवा कानून:

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979- विनियम 19-खंड 1.3-सेवानिवृत्ति आयु - प्रत्यर्थी 1975 में गुवाहाटी बैंक में एक अधिकारी के रूप में पदोन्नत हुआ-गुवाहाटी बैंक का पूर्बांचल बैंक में विलय और प्रत्यर्थी पूर्बांचल बैंक का अधिकारी बन गया-19.7.1969 को, समामेलन योजना के अधीन पूर्बांचल बैंक का अपीलार्थी-बैंक में विलय हो गया-अपीलार्थी-बैंक ने उसे 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त कर दिया- प्रत्यर्थी द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति की मांग करने वाली रिट याचिका - उच्च न्यायालय द्वारा अनुज्ञात - कि शुद्धता - अभिनिर्धारित : उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि प्रत्यर्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक सेवा में बने रहने का हकदार था -

चूंकि प्रत्यर्थी की भर्ती 19.7.1969 के पश्चात् ही हुई थी, विनियम 19 का खंड 1.3 लागू होगा- प्रत्यर्थी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने के लिए आबद्ध है इसलिए दावाकृत अनुतोष का हकदार नहीं है- हालाँकि, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, वह प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार है क्योंकि वह उच्च न्यायालय के मत में भिन्नता होने के कारण विनियम के निर्वचन के प्रश्न पर लंबे समय से न्यायालयों में लड़ रहा था-अपीलार्थी को निर्देश दिया गया की वह प्रत्यर्थी को अनुग्रह राशि के रूप में एक लाख रुपये का भुगतान करे - बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949- धारा 45(7) - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 142।

दिनांक 9.6.1969 को, प्रत्यर्थी संख्या 1 गुवाहाटी बैंक में सहायक के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया। 19.7.1969 को, अन्य बैंकों के साथ अपीलार्थी बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 01.8.1975 को, गुवाहाटी बैंक का विलय पूर्बांचल बैंक के साथ कर दिया गया। पूर्बांचल बैंक में अधिवर्षिता की आयु 58 वर्ष थी। इस बीच गुवाहाटी बैंक में प्रत्यर्थी संख्या 1, की सेवा स्थाई हो गई थी, दिनांक 01.7.1975 को उसे बैंक में एक अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था। इस प्रकार समामेलन दिनांक 1.8.1975 को प्रत्यर्थी संख्या 1 पूर्बांचल बैंक का अधिकारी बन

गया था। दिनांक 29.8.1990 को, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन समामेलन की एक योजना के तहत पूर्बांचल बैंक का विलय अपीलार्थी बैंक के साथ हुआ था।

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दावा किया कि उसकी मूल नियुक्ति दिनांक 09.06.1969 को गुवाहटी बैंक में हुई थी, इस आधार पर वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 के विनियमन 19 के अनुसार केवल 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ही सेवानिवृत्त्त हो गा। अपीलार्थी बैंक ने प्रत्यर्थी सं. 1 के इस आधार को स्वीकार नहीं किया और 58 वर्ष की आयु पूूर्ण करने पर उसे सेवानिवृत्त्त कर दिया । प्रत्यर्थी सं. 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की जो अनुज्ञात हुई। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की थी कि प्रत्यर्थी संख्या 1, 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अपीलार्थी बैंक में सेवा जारी रखने का अधिकारी था और इसी आधार पर आर्थिक लाभों के लिए हकदार था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियमन 19 को पढ़ने से ही स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1, 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त्त होने के लिए बाध्य था। (पैरा 8)

2. प्रत्यर्थी संख्या 1 को केवल अपीलार्थी बैंक के साथ पूर्बांचल बैंक के समामेलन पर ही अपीलार्थी बैंक का अधिकारी माना जा सकता है। जो कि स्वीकृत रूप से दिनांक 19.07.1969 के काफी समय पश्चात 29.8.1990 को हुआ था, वास्तव में, अगर हम विनियमन में आने वाली अभिव्यक्ति 'भर्ती' का शाब्दिक अर्थान्वयन करते हैं तो प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपीलार्थी बैंक में भर्ती ही नहीं किया गया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इस अभिव्यक्ति में वे लोग सम्मिलित हैं, जो समामेलन या विलय के माध्यम से अपीलार्थी बैंक के अधिकारी बन गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 को दिनांक 19.07.1969 के पश्चात् ही अपीलार्थी बैंक की सेवा में भर्ती किया गया माना जा सकता था। यदि ऐसा है, तो विनियम का खण्ड 1.3 है, लागू होगा न कि विनियम का खण्ड 1.2 [पैरा 6]

3.1 गुवाहाटी बैंक और पूर्वांचल बैंक, जो बाद में अपीलार्थी बैंक के साथ समामेलित हो गये, दोनों में अधिवर्षिता की आयु 58 वर्ष थी। बैंकिंग विनियम अधिनियम की धारा 45(7) के अधीन समामेलन को मंजूरी देने वाली अधिसूचना की दिनांक 29.8.1990 है। खण्ड 10 यह उपबंधित करता है कि प्रत्यर्थी जैसे कर्मचारियों को अपीलार्थी बैंक द्वारा सेवा के उन्हीं नियमों और शर्तों पर नियुक्त किया गया माना जाएगा, जो दिनांक 14.7.1990 को कारबार बंद होने से पूर्व उन पर लागू थे। उन्हें अपीलार्थी

बैंक के कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाना था और सेवा के उन्हीं नियमों और शर्तों पर पद धारण करना था, जो अपीलार्थी बैंक के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। ऐसे अधिकारियों के वेतन और सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में दिनांक 06.05.1991 को केंद्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना में इसमें विनिर्दिष्ट मामलों पर पूर्वांचल बैंक में उनकी पूर्व सेवाओं की गणना के लिए उपबंध किया गया है। इसमें कर्मचारी को उस दिन अपीलार्थी बैंक में शामिल होना मानने पर विचार नहीं किया गया है, जिस दिन कर्मचारी पूर्बांचल बैंक में शामिल हुआ था। इस प्रकार, सभी द्वारा अपनाई गयी, काम में ली गयी और स्वीकार की गयी योजना, विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अलावा, ऐसे कर्मचारी को समामेलन से पूर्व अपीलार्थी बैंक की सेवा में प्रविष्ट करने वाले के रूप में मानने के लिए उपबन्ध नहीं करती है। यदि फिर भी, तत्कालीन पूर्बांचल बैंक लिमिटेड के अधिकारियों कीकी दिनांक 06.05.1991 की वेतन और अन्य सेवा शर्तें कोई संकेत देती हैं, तो वह यह है कि नियुक्ति कि मूल तिथि केवल भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, ऋण की मंजूरी, आदि जैसे प्रयोजनों के लिए ही प्रासंगिक है। [पैरा 7]

3.2 अपीलार्थी बैंक की नियुक्ति के मामले में, पूर्बांचल बैंक में डेढ़ साल की सेवा को अपीलार्थी बैंक में केवल एक वर्ष के सेवा के रूप में ही माना जाना चाहिए | यह तथ्य कि विनियम को लागू कर दिया गया है,

इसका मतलब यह नहीं होगा कि ऐसे अधिकारियों को उनके पूर्वांचल बैंक में प्रविष्टि की तारीख से भर्ती किया गया माना जाएगा। दिनांक 01.04.1991 से प्रभावी विनियमों कीकी प्रयोज्यता इसके अंतर्गत उपबंधित अपवादों के अध्यधीन है। यह उस संदर्भ में है कि पूर्वांचल बैंक में एक वर्ष की सेवा को अपीलकर्ता बैंक में एक वर्ष की सेवा के बराबर न माना जाना महत्व रखता है।

इस स्थिति में, विनियम 19 लागू करते समय, इस दलील को मान्य ठहराना संभव नहीं है कि प्रत्यर्थी को दिनांक 19.07.1969 से पूर्व अपीलार्थी बैंक में भर्ती किया गया माना जाना चाहिए, ताकि उसके पैरा 1.2 को आकर्षित किया जा सके। अपीलार्थी बैंक के कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार का अधिकार एक बात है परन्तु इस बात पर ज़ोर देना कि कर्मचारी को समामेलन से भी पूर्व अपीलार्थी बैंक का कर्मचारी मन जाना चाहिए, एक अलग बात है। उल्लेखनीय है कि बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 कि धारा 45 कि उप-धारा (5) के खण्ड (झ) में केवल यह उपबंधित किया गया है कि प्रत्यर्थी जैसे कर्मचारी को समान पारिश्रमिक प्राप्त करने और सेवा के वही निबंधन और शर्ते रखने का अधिकार था जो उन्हें प्राप्त हो रही थी या जिनके द्वारा वे अधिस्थगन के आदेश की तारीख से तुरंत पूर्व शासित हो रहे थे। अपीलार्थी बैंक के कर्मचारियो के समान व्यवहार

किए जाने का अधिकार, समामेलन से पूर्व ही अपीलार्थी बैंक की सेवा में प्रवेश किए जाने के अधिकार तक विस्तारित नहीं हो सकता है। [पैरा 7] [282-ई-एच;283-ए-बी]

4. सेवानिवृत्ति की आयु, जब प्रत्यर्थी संख्या 1 गुवाहाटी बैंक में सेवा में शामिल हुआ, 58 वर्ष थी और जब उस बैंक का पूर्बांचल बैंक में विलय हुआ, यह 58 वर्ष बनी रही। विनियमों या संकल्प में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रत्यर्थी संख्या 1 को यह दावा करने के लिए समर्थ बनाये कि वह 60 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहने का हकदार है, यहां तक की अपीलार्थी बैंक में दिनांक 19.7.1969 के पश्चात मूल रूप से भर्ती किए गए किसी अधिकारी की अधिवर्षिता की आयु 58 वर्ष थी। हालांकि, प्रत्यर्थी संख्या 1 विनिर्दिष्ट सीमा तक सेवा लाभों के प्रयोजन के लिए गुवाहाटी बैंक में अपनी नियुक्ति की तारीख जारी रख सकता है, लेकिन यह इस दावे का समर्थन करने तक विस्तारित नहीं है कि उसे 19.7.1969 से पूर्व केंद्रीय बैंक में भर्ती किया गया समझा जाना चाहिए। [पैरा 8]

अध्यक्ष, कैनरा बैंक, बैंगलोर बनाम एम. एस. जसरा एवं अन्य, [1992] 2 एस.सी.आर. 68 और बी.एस. यादव एवं अन्य बनाम मुख्य प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य, [1987] 3 एस.सी.सी. 120, पर निर्भर।

5. विधित: यह मानते हुए कि प्रत्यर्थी, उसके द्वारा दावाकृत अनुतोष का हकदार नहीं है, इन परिस्थितियों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन अधिकारिरिता का प्रयोग करते हुए, उसे कुछ प्रतिकर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी अपीलार्थी बैंक के विनियम के निर्वचन के प्रश्न पर लड़ रहा था और वह लंबे समय तक अदालत में उपस्थित रहा। उच्च न्यायालय की मत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए, मामले की परिस्थितियों में, अपीलार्थी को अनुग्रह राशि के रूप में 1 लाख रुपये की राशि का भुगतान प्रत्यर्थी को करने का निर्देश देना समुचित होगा। [पैरा 10] [284-बी-डी]

सिविल अपीलीय अधिकारिता: 2000 का सिविल अपील सं. 5786

1994 की रिट याचिका अपील सं. 504 में दिनांक 16.09.1999 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के अंतिम निर्णय और आदेश के विरूद्ध

अपीलार्थियों की ओर से - सुनील मुरारका और दिनेश माथुर (मैसर्स जे.बी. दादाचंजी एंड कं.)।

प्रत्यर्थियों की ओर से - मनोज गोयल, शुरोदीप रॉय, वाजिह सहक और राहुल अग्रवाल।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया-

न्यायमूर्ती पी. के. बालासुब्रह्मण्यन द्वारा

1. दिनांक 09.06.1969 को, प्रत्यर्थी संख्या 1 को गुवाहाटी बैंक में सहायक के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। दिनांक 19.07.1969 को, अन्य बैंकों के साथ सेंट्रल बैंक (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अपीलार्थी बैंक" कहा गया है) का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। प्रासंगिक विनियम के अनुसार, अपीलार्थी बैंक सहित सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष नियत की गई थी। दिनांक 01.08.1975 को गुवाहाटी बैंक का विलय पूर्बांचल बैंक में कर दिया गया। गुवाहाटी बैंक और पूर्बांचल बैंक के बीच समामेलन की योजना को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। इतना कहना पर्याप्त होगा कि पूर्बांचल बैंक में भी अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष थी। प्रत्यर्थी संख्या 1, इस बीच गुवाहाटी बैंक में स्थाई हो गया, को दिनांक 01.07.1975 को उस बैंक में एक अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया। इस प्रकार समामेलन पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 दिनांक 1.8.1975 के प्रभाव से पूर्बांचल बैंक का अधिकारी बन गया, जिसमें अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष थी।

2. दिनांक 29.8.1990 को, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन समामेलन की एक योजना के तहत पूर्बांचल बैंक का अपीलार्थी बैंक

के साथ विलय हो गया। अपीलार्थी बैंक को पूर्बांचल बैंक के कर्मचारियों को, अपीलार्थी बैंक के कर्मचारियों के बराबर लाने के उद्देश्य से विनियम तैयार करना था। दिनांक 06.05.1991 को, अपीलार्थी बैंक ने समामेलन योजना के खंड 11 के संदर्भ में, पूर्ववर्ती पूर्बांचल बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित किया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेवा विनियम, 1991 को दिनांक 01.04.1991 के प्रभाव से उन पर लागू किया। प्रत्यर्थी संख्या 1, जिसकी जन्म तिथि 01.08.1934 दर्ज की गई थी, को 31.07.1992 तक 58 वर्ष की आयु पूर्ण करनी थी। दिनांक 17.07.1992 को, अपीलार्थी बैंक ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को सूचित किया कि वह दिनांक 01.08.1992 को अधिवर्षिता आयु पूर्ण कर लेगा। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने जवाब दिनांक 23.07.1992 द्वारा, अपनी जन्मतिथि को चुनौति देने की मांग की। इसके अतिरिक्त, उसने यह भी दावा किया कि वह सेवा विनियम, 1979 के विनियम 19 के अनुसार 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर नहीं बल्कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ही सेवानिवृत्त होगाा , क्योंकि उसकी मूल नियुक्ति गुवाहाटी बैंक में दिनांक 09.06.1969 को हुयी थी और इसलिए वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपीलार्थी बैंक की सेवा में बने रहने का हकदार था। अपीलार्थी बैंक ने प्रत्यर्थी सं. 1 के इस आधार को स्वीकार

नहीं किया और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसे सेवानिवृत्त कर दिया।

3. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और स्वाभाविक रूप से, अपनी जन्मतिथि के के बारे में भी विवाद उठाया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि बैंक के अभिलेखों में दर्ज जन्मतिथि को चुनौती देने की कोई सार नहीं था। उन्होंने यह भी अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 विनियमों के अनुसार केवल 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ही सेवा में बने रहने का हकदार था। अत: विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपील दायर की। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि भले ही गुवाहाटी बैंक, जो कि प्रवेश बैंक है, में अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष थी और यह तब तक जारी रही जब तक कि इसका पूर्बांचल बैंक के साथ समामेलन नहीं हो गया और पूर्बांचल बैंक में सेवानिवृत्ति की आयु भी 58 वर्ष थी। चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 को शुरुआत से ही सेंट्रल बैंक का कर्मचारी माना जाना चाहिए, वह 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक सेवा में बने रहने का हकदार था। यह कारण दिया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को दिनांक 19.07.1969 से पहले अपीलार्थी बैंक में भर्ती किया गया

अधिकारी माना जाना चाहिए, प्रत्युत अपीलार्थी बैंक के विनियमों के अनुसार उसे दिनांक 19.07.1969 को और उसके बाद एक अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया हुआ माना जाना चाहिए और वह 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक सेवा में बने रहने का हकदार है। इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त करते हुए, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने निर्णय की तारीख तक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी, अपीलार्थी बैंक को न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर, प्रत्यर्थी संख्या 1 को स्वीकार्य वेतन और अन्य भत्तों की सभी बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया, जैसे कि यदि उसे 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गयी हो।

4. इस निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थी बैंक ने अपने अधिकारियों के साथ यह अपील दायर की है। भारत संघ को प्रत्यर्थी संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया।

5. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 19, जहां तक यह प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

"(1) सेवानिवृत्ति की आयु के नियम-

बैंक में किसी अधिकारी की नियत तिथि पर या उसके बाद सेवानिवृत्ति की आयु निम्नानुसार अवधारित की जाएगी

1.1 19 जुलाई, 1969 से पूर्व भर्ती/पदोन्नत बैंक का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होगा।

1.2 बैंक का एक अधिकारी/कर्मचारी जो 19 जुलाई 1969 से पूर्व भर्ती हुआ था, परन्तु 19 जुलाई 1969 को या उसके पश्चात एक अधिकारी के रूप में पदोन्नत हुआ, वह 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होगा।

1.3 19 जुलाई, 1969 को या उसके पश्चात बैंक का एक अधिकारी/कर्मचारी, चाहे वह अवॉर्ड कर्मचारी के रूप में या अधिकारी/कर्मचारी के रूप में भर्ती हुआ हो, 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त होगा।"

अत: अपीलार्थी बैंक का मामला यह है कि विनियम 19 का खंड 1.3 लागू होता है चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 दिनांक 19.07.1969 के पश्चात ही बैंक का कर्मचारी बना और उसे दिनांक 19.7.1969 के पश्चात ही भर्ती हुआ कर्मचारी माना जाना चाहिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 का दावा यह है कि

चूंकि वह गुवाहाटी बैंक में दिनांक 19.07.1969 से पूर्व भर्ती हुआ था और गुवाहाटी बैंक में दिनांक 19.07.1969 के पश्चात अधिकारी के रूप में पदोन्नत हुआ था, तो वह दिनांक 19.07.1969 से पूर्व अपीलार्थी बैंक में भर्ती किया गया माना जाना चाहिए था और विनियम के खंड 1.2 के अनुसार 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने का हकदार था। जबकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने धारित किया कि खंड 1.3 लागू होगा, खंड पीठ ने यह विचार किया है कि विनियम 19 का खंड 1.2 लागू होगा।

6. तथ्यात्मक स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने पर, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को केवल अपीलार्थी बैंक के साथ पूर्बांचल बैंक के समामेलन पर ही अपीलार्थी बैंक का अधिकारी माना जा सकता है। जो कि स्वीकृत रूप से दिनांक 19.07.1969 के काफी समय पश्चात दिनांक 29.08.1990 को हुआ था, वास्तव में, अगर हम विनियमन में आने वाली अभिव्यक्ति 'भर्ती' का शाब्दिक अर्थान्वयन करते हैं तो प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपीलार्थी बैंक में भर्ती ही नहीं किया गया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इस अभिव्यक्ति में वे लोग सम्मिलित हैं जो समामेलन या विलय के माध्यम से अपीलार्थी बैंक के अधिकारी बन गये। विलय दिनांक 19.07.1969 के काफी लंबे समय पश्चात दिनांक 29.8.1990 को हुआ

था। इस स्थिति में, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को दिनांक 19.07.1969 के पश्चात ही अपीलार्थी बैंक की सेवा में भर्ती किया गया माना जा सकता है। यदि ऐसा है, तो विनियम 19 का खंड 1.3 लागू होगा न कि उस विनियम का खंड 1.2। हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार प्राप्त परिणाम में कुछ भी असमान या अन्यायपूर्ण नहीं है, क्योंकि जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 1 और उसके समान स्थिति वाले लोगों का संबंध है, अधिवर्षिता आयु गुवाहाटी बैंक, जो नियुक्ति बैंक है और पूर्बांचल बैंक जिसके साथ दिनांक 01.08.1975 को गुवाहाटी बैंक का विलय हुआ था, दोनों में 58 वर्ष थी। \

7. अध्यक्ष, केनरा बैंक, बैंगलोर बनाम एमएस जसरा और अन्य, [1992] 2 एससीआर 68 में जिस पर निर्भर किया गया था, यह एक ऐसा मामला था, जहां लक्ष्मी कमर्शियल बैंक जिसका केनरा बैंक के साथ समामेलन हो गया था, के एक कर्मचारी ने दावा किया कि वह 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक केनरा बैंक की सेवा में बने रहने का हकदार था, क्योंकि यह लक्ष्मी कमर्शियल बैंक जिसका समामेलन से पूर्व वह कर्मचारी था, में अधिवर्षिता की आयु थी। उसके दावे को केनरा बैंक ने खारिज कर दिया और उसने उस फैसले को उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और

यह अभिनिर्धारित किया कि कर्मचारी तब तक पद पर बने रहने का हकदार है, जब तक वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले। केनरा बैंक की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 और केनरा बैंक के साथ लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के परिणामिक समामेलन के आधार पर, लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के अधीन सेवा की शर्तें कर्मचारी को उपलब्ध नहीं होंगी और केवल केनरा बैंक में संबंधित रैंक और प्रास्थिति के कर्मचारियों पर लागू होने वाले सेवा के निबंधन और शर्तें ही लागू होंगी। इस न्यायालय ने केनरा बैंक के तर्क को स्वीकार किया और यह अभिनिर्धारित किया कि कर्मचारी केनरा बैंक का कर्मचारी बन गया है और इसलिए, वह केवल बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उप-धारा (5) के खंड (i) के परन्तुक (ii) द्वारा दिए गए अधिकार का ही हकदार था, जो उसे केनरा बैंक में संबंधित रैंक और प्रास्थिति के कर्मचारियों के समान सेवा के निर्बंधनों और शर्तों का हकदार बनाताा है। केनरा बैंक में कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु केवल 58 वर्ष होने के कारण, कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने का दावा नहीं कर सकताा था। हस्तगत मामले में, गुवाहाटी बैंक और पूर्बांचल बैंक, जो बाद में अपीलार्थी बैंक के साथ समामेलित हो गया, दोनों में अधिवर्षिता की आयु केवल 58 वर्ष थी। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 45(7)

के अधीन समामेलन को मंजूरी देने वाली अधिसूचना दिनांक 29.08.1990 का समापन खंड 10 उपबंध करता है कि प्रत्यर्थी जैसे कर्मचारियों को अपीलार्थी बैंक द्वारा उन्हीं निर्बंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया गया समझा जायेगा जो 14.07.1990 को कारबार के समापन होने से पूर्व उन पर लागू थे। उन्हें अपीलार्थी बैंक के कर्मचारियों के समान वेतन प्रदान किया जाना था, उन्हें सेवा के उन्हीं निर्बंधनों और शर्तों पर पद धारण करना था, जो अपीलार्थी बैंक के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। केंद्रीय कार्यालय से दिनांक 06.05.1991 को प्राप्त ऐसे अधिकारियों के वेतन और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित संसूचना के पैरा 6 द्वारा, विनिर्दिष्ट मामलों पर पूर्बांचल बैंक में उनकी पूर्ववर्ती सेवा की गणना के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध किये गये हैं। यह कर्मचारी को अपीलार्थी बैंक में उसी दिन शामिल हुआ मानने पर विचार नहीं करता है, जिस दिन कर्मचारी पूर्बांचल बैंक में शामिल हुआ था। इस प्रकार, सभी द्वारा ग्रहण की गयी, काम की गयी और स्वीकार की गयी स्कीम, ऐसे कर्मचारी को समामेलन से पूर्व विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को छोड़कर अपीलार्थी बैंक की सेवा में प्रवेश करने वाले के रूप में मानने का उपबंध नहीं करती है। यदि पूर्ववर्ती पूर्बांचल बैंक लिमिटेड के अधिकारियों के वेतन और अन्य सेवा शर्तें दिनांक 06.05.1991 से कोई संकेत मिलता है, तो वह यह है कि नियुक्ति की

मूल तिथि केवल भविष्य निधि, ग्रेच्युटी जैसे ऋणों की मंजूरी आदि जैसे प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलार्थी बैंक में नियोजन के मामले में, पूर्बांचल बैंक में डेढ़ साल की सेवा को अपीलार्थी बैंक में केवल एक वर्ष की सेवा के रूप में माना जाना चाहिए। उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा जिस प्रस्ताव पर बहुत अधिक बल दिया गया है, वह केवल यह उपबंध करता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 जैसे अधिकारी दिनांक 01.04.1999 से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 द्वारा शासित होंगे। यह तथ्य कि विनियम लागू कर दिया गया है, इसका अर्थ यह नहीं होगा कि ऐसे अधिकारियों को पूर्बांचल बैंक में उनके प्रवेश की तारीख से ही भर्ती किया गया समझा जाएगा। दिनांक 01.04.1991 से विनियमों का लागू होना उसके अधीन उपबंधित अपवादों के अधीन है।

यह उस संदर्भ में है कि पूर्बांचल बैंक में एक वर्ष की सेवा को अपीलार्थी बैंक में एक वर्ष की सेवा के बराबर न माना जाना महत्व रखता है। इन परिस्थितियों में, विनियम 19 को लागू करते समय, इस दलील को मान्य ठहराना संभव नहीं है कि प्रत्यर्थी को 19.7.1969 से पूर्व अपीलार्थी बैंक में भर्ती किया माना जाना चाहिए ताकि उसके अनुच्छेद 1.2 पर ध्यान आकर्षित किया जा सके। अपीलार्थी बैंक के कर्मचारियों के समान व्यवहार

करने का अधिकार एक बात है, परन्तु इस बात पर जोर देना कि कर्मचारी को समामेलन से पूर्व ही अपीलार्थी बैंक का कर्मचारी माना जाना चाहिए, एक अलग बात है। उल्लेखनीय है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उप-धारा (5) के खंड (झ) में केवल यह उपबंध किया गया है कि प्रत्यर्थी जैसे कर्मचारी को समान पारिश्रमिक प्राप्त करने और वही निर्बंधन और शर्तें रखने का अधिकार था, जो उन्हें प्राप्त हो रही थी या जिनके द्वारा वे अधिस्थगन आदेश की तारीख से तुरंत पूर्व शासित हो रहे थे। अपीलार्थी बैंक के कर्मचारियों के समान व्यवहार किए जाने का अधिकार, समामेलन से पहले ही अपीलार्थी बैंक की सेवा में प्रवेश किए जाने के अधिकार तक विस्तारित नहीं हो सकता है। ऊपर उल्लेखित निर्णय से यह भी पता चलता है कि हस्तांतरिती बैंक में सेवानिवृत्ति की आयु ही प्रभावी होगी और हस्तांतरिती बैंक में दिनांक 19.07.1969 के बाद अधिवर्षिता की आयु केवल 58 वर्ष है।

8. जैसा कि पूर्व में हमने देखा है, कि जब प्रत्यर्थी संख्या 1 ने गुवाहाटी बैंक में सेवा में प्रवेश किया था, तब अधिवर्षिता की आयु, 58 वर्ष थी और जब उस बैंक का पूर्बांचल बैंक में विलय हुआ, तब भी यह 58 वर्ष बनी रही। जहां तक हम देख सकते हैं, विनियमों या संकल्प में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रत्यार्थी संख्या 1 को यह दावा करने में समर्थ बनाए कि

वह 60 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहने का हकदार है, यहां तक कि अपीलार्थी बैंक में 19.7.1969 के पश्चात् मूल रूप से भर्ती किए गए अधिकारी की भी अधिवर्षिता की आयु 58 वर्ष ही थी। यद्यपि, प्रत्यर्थी सं. 1 विनिर्दिष्ट सीमा तक सेवा लाभों के प्रयोजन से गुवाहाटी बैंक में अपनी नियुक्ति की तारीख जारी रख सकता है, लेकिन यह उस दावे का समर्थन करने तक विस्तारित नहीं है कि उसे दिनांक 19.07.1969 से पूर्व केंद्रीय बैंक में भर्ती किया गया समझा जाना चाहिए। इसलिए, यह हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने यह विनिश्चित करने में गलती की थी कि प्रत्यर्थी संख्या एक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपीलार्थी बैंक में सेवा जारी रखने का हकदार था और उस आधार पर आर्थिक लाभ का हकदार था। विनियम 19 को उपलब्ध तथ्यों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, हमें यह समाधान हो गया है कि प्रत्यर्थी संख्या एक 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने के लिए बाध्य था। इसलिए, विद्वान एकल पीठ द्वारा रिट याचिका को खारिज करना न्यायोचित था। खण्ड पीठ बेंच द्वारा इसकी अनुमति देना न्यायोचित नहीं था।

9. यहां हम देख सकते हैं कि बी.एस. यादव और अन्य बनाम मुख्य प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य [1987] (3) एससीसी 120 के मामले में इस न्यायालय ने सेंट्रल बैंक द्वारा इसके राष्ट्रीयकरण से पूर्व

भर्ती किए गए कर्मचारियों और इसके राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंक में भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए अलग-अलग सेवानिवृत्ति आयु का उपबंध करने वाले नियम को कायम रखा। अधिवर्षिता की आयु पहले वाले के लिए 60 वर्ष थी और बाद वाले के लिए केवल 58 वर्ष थी और जब यह स्थिति है कि सेवानिवृति की तारीख बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् 58 वर्ष की ही है, तो हमें यह अभिनिर्धारित करने का कोई कारण नहीं मिलता कि जो लोग समामेलन के माध्यम से राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंक में शामिल हुए, उन्हें राष्ट्रीकरण के पश्चात् केंद्रीय बैंक में भर्ती किए गए कर्मचारियों की तुलना में बेहतर स्थिति में रखा जाना चाहिए।

10. विधित: यह मानते हुए कि प्रत्यर्थी उसके द्वारा दावाकृत अनुतोष का हकदार नहीं है, हम यह महसूस करते हैं कि इन परिस्थितियों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन हमारी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, प्रत्यर्थी को कुछ प्रतिकर का संदाय किये जाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। हम यह पाते हैं कि प्रत्यर्थी, अपीलार्थी बैंक के विनियम के निर्वचन के प्रश्न पर लड़ रहा था और लंबे समय तक अदालत में बना रहा। उच्च न्यायालय के मत की भिन्नता को ध्यान में रखते हुए, हमारे निष्कर्ष और मामले की परिस्थितियों में, हम यह महसूस करते हैं कि अपीलार्थी को अनुग्रह राशि के रूप में 1 लाख रुपये का भुगतान प्रत्यर्थी

को करने का निर्देश देना समुचित होगा। हम स्पष्ट करते हैं कि इस निर्देश का उद्देश्य किसी भी रीति से नजीर बनना नहीं है।

11. अत:, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के विनिश्चय को अपास्त करते हुए उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हैं। हम अपीलार्थी को आज से तीन महीने के भीतर-भीतर प्रत्यर्थी संख्या 1 को अनुग्रह राशि के रूप में 1 लाख रुपये का संदाय करने का निर्देश प्रदान करते हैं। इन परिस्थितियों में, हम पक्षकारों को यहां और उच्च न्यायालय में अपनी-अपनी लागत भुगतने का निर्देश देते हैं।

अपील अनुज्ञात।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी चंचल मिश्रा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।